प्रेषक,

उमेश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0)
उ0प्र0लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग : (8) लखनऊ : दिनांक : 08 अगस्त, 2025

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान योजना लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2139/15-8-2024 दिनांक 22.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान योजना लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में प्रकरण के निस्तारण हेतु समिति का गठन निम्नवत किया गया था:-

1. अपर शिक्षा निदेशक(मा0)- अध्यक्ष
2. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी(मा0)- सदस्य
3. सहायक शिक्षा निदेशक(सेवा-1)- सदस्य

3- अवगत कराना है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान योजना लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना के आच्छादित किये जाने के संबंध में दिनांक 31.03.2025 तक का समय प्रदान किया गया था। किन्तु उपरोक्त समयावधि के अन्दर विकल्प प्रस्तुत करने एवं विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन योजना

से आच्छादित करने संबंधी उक्त तिथि दिनांक 31.03.2025 व्यतीत हो जाने के उपरान्त उपरोक्त कट-आफ तिथि बढाये जाने हेतु विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा निरन्तर की जा रही मॉग के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प प्रस्तुत करने तथा समस्त अनुवर्ती कार्यवाहियों के लिए वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-20/2025/सा-3-477/दस-2025/301(1)/2024 दिनांक 30.07.2025 द्वारा निर्धारित तिथियों को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:-

क्रमांक	कार्यवाही	शासनादेश दिनांक 28.06.2024 द्वारा पूर्व में निर्धारित तिथि	संशोधित तिथि
1	2	3	4
1	कर्मचारियों द्वारा एन0पी0एस0 के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प प्रस्तुत करना	31.10.2024	30.09.2025
2	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करना	31.03.2025	30.11.2025
3	एन0पी0एस0 खाता बन्द करना	30.06.2025	28.02.2026

उपरोक्तानुसार वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30.07.2025 के निर्देशों के क्रम में अवगत होते हुए शासन के पत्र दिनांक 22.07.2024 द्वारा गठित समिति के माध्यम से अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by UMESH CHANDRA
Date: 08-08-2025 16:29:50

(उमेश चन्द्र)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

<u>प्रतिलिपि निमनलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- वित्त नियंत्रक(मा0), शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज।

3- अपर शिक्षा निदेशक(मा0), शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज।

4- समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,/ मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक, उ0प्र0।

5- सहायक शिक्षा निदेशक(सेवाएं-1) शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज।

6- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(संजय कुमार)
उप सचिव।

प्रेषक,

उमेश चन्द्र,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0)

उ0प्र0लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग : (8) लखनऊ : दिनांक : 08 अगस्त, 2025

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान योजना लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2139/15-8-2024 दिनांक 22.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान योजना लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में प्रकरण के निस्तारण हेतु समिति का गठन निम्नवत किया गया था:-

1. अपर शिक्षा निदेशक(मा0)- अध्यक्ष
2. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी(मा0)- सदस्य
3. सहायक शिक्षा निदेशक(सेवा-1)- सदस्य

3- अवगत कराना है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान योजना लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना के आच्छादित किये जाने के संबंध में दिनांक 31.03.2025 तक का समय प्रदान किया गया था। किन्तु उपरोक्त समयावधि के अन्दर विकल्प प्रस्तुत करने एवं विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन योजना

से आच्छादित करने संबंधी उक्त तिथि दिनांक 31.03.2025 व्यतीत हो जाने के उपरान्त उपरोक्त कट-आफ तिथि बढ़ाये जाने हेतु विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा निरन्तर की जा रही मॉग के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प प्रस्तुत करने तथा समस्त अनुवर्ती कार्यवाहियों के लिए वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-20/2025/सा-3-477/दस-2025/301(1)/2024 दिनांक 30.07.2025 द्वारा निर्धारित तिथियों को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:-

क्रमांक	कार्यवाही	शासनादेश दिनांक 28.06.2024 द्वारा पूर्व में निर्धारित तिथि	संशोधित तिथि
1	2	3	4
1	कर्मचारियों द्वारा एन0पी0एस0 के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प प्रस्तुत करना	31.10.2024	30.09.2025
2	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करना	31.03.2025	30.11.2025
3	एन0पी0एस0 खाता बन्द करना	30.06.2025	28.02.2026

उपरोक्तानुसार वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30.07.2025 के निर्देशों के क्रम में अवगत होते हुए शासन के पत्र दिनांक 22.07.2024 द्वारा गठित समिति के माध्यम से अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by UMESH CHANDRA
Date: 08-08-2025 16:29:50

(उमेश चन्द्र)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

<u>प्रतिलिपि निमनलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- वित्त नियंत्रक(मा0), शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज।

3- अपर शिक्षा निदेशक(मा0), शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज।

4- समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,/ मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक, उ0प्र0।

5- सहायक शिक्षा निदेशक(सेवाएं-1) शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज।

6- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(संजय कुमार)
उप सचिव।